# प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
# लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

*Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand*

Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd


पत्रांकः–614/76याता (क)–उ0/2018 दिनांकः 04 जून, 2018

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
सहस्त्रधारा मार्ग, कुल्हान,
देहरादून।

विषयः– **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सडक सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की प्रस्तावित बैठक हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक–2195/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(25)–दो/2018 दिनांक 16.05.2018**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित हैः–

बिन्दु–1. सूचना आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप पत्र 'A' पर संलग्न है।

2. जनपदों के मुख्य मार्गों पर साईनेज की स्थिति का विवरण संलग्न है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में एस0 राजशेखरन वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को पारित आदेशों की अनुपालन आख्या संलग्न है।

4. लीड एजेन्सी द्वारा समय–समय पर किये गये स्थल निरीक्षण के उपरान्त इंगित कमियों के सुधार हेतु की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण संलग्न है।

4/6/18

मुख्य अभियन्ता स्तर–।।(मुख्यालय)

मु०अभि० स्तर–II (मु०)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–**

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।

2– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।

3– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

5– समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/राष्ट्रीय राजमार्ग को इस आशय से प्रेषित कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों को वर्ष 2020 तक दुर्घटना रहित योग्य किया जाना है, जिस हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की प्रस्तावित बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स इतर दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुधार एवं तद्सम्बन्धित Action Plan (Activity 1 to 15) सम्बन्धित कार्ययोजना प्रेषित की गयी है **(संलग्न)**। कृपया उपरोक्त प्रेषित योजनाओं का अध्ययन करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

6– रीजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों को वर्ष 2020 तक दुर्घटना रहित योग्य किया जाना है, जिस हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की प्रस्तावित बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स इतर

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.....

सम्भावित स्थलों का सुधार एवं तद्सम्बन्धित Action Plan (Activity 1 to 15) सम्बन्धित कार्ययोजना प्रेषित की गयी है। **(संलग्न)** कृपया उपरोक्त प्रेषित योजनाओं का अध्ययन करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

7– श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

8– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु ।

**मुख्य अभियन्ता स्तर–।। (मुख्यालय)**

प्रारूप–A

बिन्दु – 1

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

| क्रम संख्या | संस्था का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार) | सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या | लघुकालीन | दीर्घकालीन | अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | लो0नि0वि0 | 26 | 12 | 26 | 12 | 14 | DPR Under Progress 01 No.<br>DPR Sent for Sanction 09 No.<br>Safety Audit to be done 04 No |
| 2 | लो0नि0वि0 एन0एच0 विंग | 33 | 2 | 33 | 3 | 30 | DPR Under Progress 12 No.<br>DPR Sent for Sanction 03 No.<br>Safety Audit to be done 08 No<br>Work Under Progress 06 No.<br>Work Yet to be commenced 01 No. |
| 3 | एनएचएआई | 60 | 18 | 44 | 18 | 42 | Work Under Progress 24 No.<br>Work Yet to be commenced 13 No.<br>Alternative By pass Under Progress 04 No.<br>Work Not Fisible 01 No. |
| 4 | एन0एच0 (यू0पी0) | 1 | - | - | - | 1 | |
| | योग | **120** | **32** | **103** | **33** | **87** | |

मु0अभि0 स्तर-II (मु0)

# प्रारूप–A

बिन्दु – 1

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

| कम सं0 | जनपद का नाम | संस्था का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार) | सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या | लघुकालीन | दीर्घकालीन | अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | देहरादून | लो0नि0वि0 | 18 | 7 | 18 | 7 | 11 | DPR Sent for Sanction 08 No.<br>Safety Audit to be done 02 No.<br>DPR under progress in Char Dham project 01 No. |
| | | एन0एच0 | 22 | 2 | 22 | 2 | 20 | DPR Under Progress 12 No.<br>DPR Sent for Sanction 03 No.<br>Safety Audit to be done 04 No<br>Work Under Progress 01 No.. |
| | | एनएचएआई | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | Work Under Progress 07 No. |
| | **योग** | | **49** | **11** | **45** | **11** | **38** | |
| 2 | हरिद्वार | लो0नि0वि0 | - | - | - | - | - | - |
| | | एन0एच0 | 1 | - | 1 | - | 1 | Work Yet to be Commenced 01 No. |
| | | एनएचएआई | 23 | 8 | 18 | 8 | 15 | Work Under Progress 08 No.<br>Alternative By pass Under Progress 02 No.<br>Work Yet to be Commenced 05 No. |
| | | एनएच (यूपी0) | 1 | - | - | - | 1 | सूचना अप्राप्त कृपया अपने स्तर से जनपदीय सडक सुरक्षा समिति सहारनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करने का कष्ट करें। |
| | **योग** | | **25** | **8** | **19** | **8** | **17** | |
| 3 | ऊधमसिंह नगर | लो0नि0वि0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | DPR Sent for Sanction 01 No.<br>Safety Audit to be done 01 No. |
| | | एन0एच0 | 1 | - | 1 | - | 1 | Safety Audit to be done 01 No. |
| | | एनएचएआई | 24 | 8 | 17 | 8 | 16 | Work Under Progress 08 No.<br>Alternative By Pass Under Progress 02<br>Work Yet to be Commenced 06 No. |
| | **योग** | | **28** | **9** | **21** | **9** | **19** | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | संस्था का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार) | सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या | लघुकालीन | दीर्घकालीन | अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | चमोली | लो0नि0वि0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | | एन0एच0 | - | - | - | - | - | - |
| | | एनएचएआई | - | - | - | - | - | - |
| योग | | | **2** | **2** | **2** | **2** | **0** | |
| 5 | टिहरी गढवाल | लो0नि0वि0 | - | - | - | - | - | - |
| | | एन0एच0 | 5 | - | 5 | 1 | 4 | Work Under Progress 04 No. |
| | | एनएचएआई | - | - | - | - | - | - |
| योग | | | **5** | **0** | **5** | **1** | **4** | |
| 6 | पौडी | लो0नि0वि0 | - | - | - | - | - | - |
| | | एन0एच0 | 1 | - | 1 | - | 1 | Work Under Progress 01 No. |
| | | एनएचएआई | - | - | - | - | - | - |
| योग | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | |
| 7 | अल्मोडा | लो0नि0वि0 | - | - | - | - | - | - |
| | | एन0एच0 | 1 | - | 1 | - | 1 | Safety Audit to be done 01 No. |
| | | एनएचएआई | - | - | - | - | - | - |
| योग | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | |

| कम सं0 | जनपद का नाम | संस्था का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार) | सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या | लघुकालीन | दीर्घकालीन | अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | नैनीताल | लो0नि0वि0 | 1 | - | 1 | - | 1 | Safety Audit to be done 01 No. |
| | | एन0एच0 | 2 | - | 2 | - | 2 | Safety Audit to be done 02 No. |
| | | एनएचएआई | 4 | - | 4 | - | 4 | Work Under Progress 01 No.<br>Work Yet to be Commenced 02 No.<br>Not Fisible 01 No. |
| योग | | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 9 | पिथौरागढ | लो0नि0वि0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | | एन0एच0 | - | - | - | - | - | - |
| | | एनएचएआई | - | - | - | - | - | - |
| योग | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| कुल योग | | | 120 | 32 | 103 | 33 | 87 | |

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य मार्गों पर साईनेज की स्थिति का विवरण।

बिन्दु – 2

PROGRESS

Annexure

## Detail for Improving Road Marking and signages.

| मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी | मार्ग की कुल लम्बाई किमी0 (लक्ष्य) | दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी0 में) | Year 2018 (Traget) (Km) | जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी0 में) | अप्रैल 2018 तक पूर्ण कार्य | Year 2019 (Traget) (Km) | Year 2020 (Traget) (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH with State PWD | 2091.34 | 960.00 | 200.00 | 50.00 | 1010.00 | 400.00 | 531.34 |
| NH with NHAI | 379.96 | 50.00 | 150.00 | 30.00 | 80.00 | 100.00 | 79.96 |
| NH with NHIDCL/BRO | 482.80 | 30.00 | 150.00 | - | 30.00 | 100.00 | 202.80 |
| **Total** | **2954.10** | **1040.00** | **500.00** | **80.00** | **1120.00** | **600.00** | **814.10** |
| State Highways | 4521.00 | 1550.00 | 800.00 | 180.00 | 1730.00 | 900.00 | 1271.00 |
| MDR | 2152.00 | 845.00 | 400.00 | 130.00 | 975.00 | 500.00 | 407.00 |
| ODR | 2651.00 | 730.00 | 400.00 | 150.00 | 880.00 | 500.00 | 1021.00 |
| **Total** | **9324.00** | **3125.00** | **1600.00** | **460.00** | **3585.00** | **1900.00** | **2699.00** |
| **G.Total** | **12278.10** | **4165.00** | **2100.00** | **540.00** | **4705.00** | **2500.00** | **3513.10** |

मु0अभि0 स्तर–II (मं0)

# Hon'ble Supreme Court Directions dated 30-11-2017 (Compliance Report)

## Uttrakhand.

Pg-3

| S.N. | Directions | Concern Deptt | Compliance |
|---|---|---|---|
| 1 | **Road Safety Policy:** Most of the State Governments and Union territories have already framed a Road Safety Policy.Those that have not framed such a policy namely Assam, Nagaland, Tripura, Delhi, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, must now formulate the Road Safety Policy by 31st January, 2018. All State and Union Territories and expected to implement the Road Safety Policy with all due earnestness and seriousness. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 2 | **State Road Safety Council:** All States have already constituted a Road Safety Council in terms of Section 2015 of the Motor Vehicles Act, 1988. The Union Territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands have not constituted the Road Safety Council as yet. We direct these Union Territories to constitute the State Road Safety Council on or before 31st January, 2018. The responsibility and functions of the Council will be as recommended by the Committee on Road Safety. The state road safety councils should periodically review the laws and take appropriate remedial steps wherever necessary. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 3 | **Lead Agency:** Only a few state have established the Lead Agency as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23rd December, 2014 . The State and Union Territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31st January, 2018 in terms of the recommendations made by the Committee on Road Safety. It may be mentioned that the Lead Agency will act as the Secretariat of the State Road Safety Council and coordinate all activities such as licensing issues including issues of driving licences, registration of vehicles, road safety and features of vehicles, along with other allied matters including emission norms and other activities as mentioned in the communication date 23rd December, 2014. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | **Road Safety Fund:** Some of the States have already established a Road Safety Fund. Those States and Union Territories that have not yet established the Road Safety Fund should do so not later than 31st March, 2018 and report back to the Committee on Road Safety. The corpus of the Road Safety Fund will be from the fines collected for traffic violations and the Fund will be utilized for meeting expenses relating to road safety . | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | **Road Safety Action Plan:** The purpose of a Road Safety Action Plan is to reduce the number of road accidents, as well as the fatality rate. The MoRTH has already requested all the States and Union Territories to prepare a Road Safety Action Plan but it appears that the Response to this has been somewhat lukewarm. The State Governments and Union Territories are therefore directed to urgently prepare a Road Safety Action Plan by 31st March, 2018 and put it into action after giving it due publicity. | All Stake holders | उत्तराखण्ड राज्य हेतु सडक सुरक्षा के अन्तर्गत Road Safety Action Plan (Activity 01 To 15) हेतु किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2020 तक की कार्ययोजना संलग्न है। (संलग्नक–1) |

क्रमशः पेज नम्बर 03 पर.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **District Road Safety Committee:** A District Road Safety Committee is required to be set up by the State Government for every district in terms of Section 215(3) of the Motor Vehicles Act, 1988.As suggested by the learned Amicus and agreed to by the MoRTH, the District Road Safety Committee should be put in place by 31st January, 2018 and should be headed by the Collector of the District and should include amongst others the Superintending of Police, Health Officers, Engineers of the Public Works Department, representatives of the National Highways Authority of India, the Road Transport Officer of the District and members of civil society from the District, The District Road Safety Committee must hold regular and periodic meetings to review road safety issues and take corrective measures. | Transport / DMS | लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपदीय सडक सुरक्षा समिति के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही समय–समय पर की जा रही है। |
| 7 | **Engineering Improvement:** It appears that one of the main reasons for road accidents is ther poor quality of roads, improper design, etc. The MoRTH is of the opinion that the protocol for road design and identification of black spots needs to be reviewed and enforced. Accordingly, it is directed that the MoRTH should publish a protocol for identification and rectification of black spots and take necessary steps for improving the design of roads to make them safe. | MoRTH/ PWD | मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार से संशोधित प्रोटोकाल जारी करने की अपेक्षा की गयी है।<br>वर्तमान में राज्य में भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्गत प्रोटोकोल के अनुसार ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये। मा0 उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्देशों के अनुपालन में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–908 / प्रवर्तन / स0सु0 / 178(38) / 2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार से नये प्रोटोकोल की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से नये निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। |
| | | | |
| 8 | **Traffic Calming Measures:** It is suggested by the learned Amicus that traffic calming measures must be adopted at accident prone areas. This is agreed to by the MoRTH. However, such measures will need to be studied and then put in place. This is an on-going exercise which must be carried out by the Road Safety Committee with the assistance of the MoRTH and other stakeholders. | MoRTH/ PWD | राज्य में कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई की सडकों के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 तक कुल 4705.00 किमी0 सडको पर ट्रैफिक कामिंग उपाय किये जा चुके हैं। अवशेष 7573.10 किमी0 सडकों पर वर्ष 2020 तक कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।<br>(संलग्नक–1 का बिन्दु संख्या 11) |

क्रमशः पेज नम्बर 04 पर.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | **Road Safety Audit:** There is agreement, in principle, between the learned Amicus and the MoRTH to carry out Road Safety Audits. However, there appears to be a dearth of qualified auditors in Road Safety Engineering. The MoRTH supports the idea of capacity building. It is, therefore, directed that necessary steps be taken by the Committee on Road Safety as well as by the MoRTH to work in this direction since there can be little doubt that an audit of road safety is essential to reduce the possibility of road accidents through corrective measures. | MoRTH/ PWD | उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों का सेफ्टी ऑडिट किये जाने हेतु पत्र संख्या–66/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 12.01.2018 के अन्तर्गत रोड सेफ्टी ऑडिटर को इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। उक्त सूची समस्त मुख्य अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त Model RFP भी सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है, जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है।<br>उत्तराखण्ड राज्य के मार्ग की कुल लम्बाई 12278.10 किमी0 के सापेक्ष 4705.00 किमी0 की लम्बाई में अप्रैल, 2018 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।<br>यह भी अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय से नये मार्गदर्शक बिन्दु प्राप्त होने पर उनका अनुपालन किया जायेगा। |
| 10 | **Engineering Design of New Roads:** The MoRTH is of the view, and the learned Amicus is also in agreement, that the Road Safety Audit as mentioned above should include the design stage audit of new road projects of 5 kms or more, rather than being based on the cost of the project. It is ordered accordingly. | MoRTH/ PWD | मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक–80/76 याता (क)–उ0/2018 दिनांक 17.01.2018 के अन्तर्गत 05 किमी0 एवं अधिक के मार्ग निर्माण हेतु नवीन परियोजनाओं के डीपीआर गठन के दौरान रोड सेफ्टी ऑडिटर के सुझावों का अनुपालन किये जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये गये है। |
| 11 | **Working Group on Engineering:** The Working Group on Engineering (Roads) has already submitted a Report which is available with the Road Safety Committee as well as the MoRTH. This Working Group was constituted pursuant to the decision taken in the meeting of the 12th National Road Safety Council held on 25th March, 2011. The recommendations of the Working Group should be implemented in the terms prayed for by the learned Amicus as well as those accepted by the MoRTH. These will, of course, be in the nature of interim directions since the National Road Safety Board is likely to be created as proposed in the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017. | MoRTH/ PWD | Working Group of Engineering द्वारा संस्तुत सुझावों का अनुपालन किया जा रहा है। (संलग्नक–2) |
| 12 | **Drivers' Training:** This is the subject matter of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 and no orders are required to be passed in this regard. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |

क्रमशः पेज नम्बर 05 पर.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | **Lane Driving:** The MoRTH has already issued Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 vide G.S.R. 634 (E) dated 23rd June 2017. The Notification should be implemented by the State Governments and Union Territories strictly. | Transport / Traffic Police | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 14 | **Road Safety Equipment:** The Bureau of Police research and Training has already prepared a Report on the subject and has submitted it to the Road Safety Committee in September 2015. The recommendations in the Report should be implemented• including acquisition of cameras and surveillance equipments in detecting traffic and identifying violators. It is also necessary to set up special patrol forces along the National Highways and State Highways for which necessary steps must be taken by the State Governments and Union Territories. | Traffic Police | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 15 | **Alcohol and Road Safety:** The MoRTH has already written to the States to comply with orders of this Court in this regard. The MoRTH may issue further advisories in this regard on a quarterly basis during the calendar year 2018 so as to serve as a reminder to the State Governments and Union Territories to implement the directions of this Court. | Excise | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 16 | **Road Safety Education:** The learned Amicus as well as MoRTH are in agreement that road safety education and counseling should be incorporated in the curriculum by the State Boards by 1st April, 2018. It is directed that the State Governments may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Counseling as a part of the school curriculum at the earliest. | School Education | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 17 | Speed Governors: Guidelines in this regard have already been issued by the MoRTH. The MoRTH has agreed to upload the Unique Identification Number of the speed governors in the VAHAN database. This Should be followed up by the MoRTH with expedition. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |

क्रमशः पेज नम्बर 06 पर.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | **Emergency Medical Care:** There is agreement that at least one Trauma Care Centre should be set up in with necessary facilities and an ambulance. The State Governments and Union Territories should take up this recommendation at the earliest since it is on record that treatment soon after a road accident is crucial for saving the life of the victim. In this context, it may also be mentioned that this Court has issued certain directions in ***Pt. Parmanand Katara v. union of india*** which should be followed. | Medical | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 19 | **Universal Accident Helpline Number:** The MoRTH has stated that there is already a call center number, that is 108 provided by National Health Mission. Due publicity must be given to this so that an ambulance can be activated at the earliest whenever necessary. | Police / Medical | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 20 | **Permanent Road Safety Cell**: All State Governments and Union Territories have already been requested by the MoRTH to set up Road Safety Cells. The State Governments and Union Territories should establish Permanent Road Safety Cells by 31st January, 2018. | MoRTH / PWD | माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2017 का पारित निर्णय जो Permanent Road Safety Cell गठित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके कम में अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–391/76 याता (क)–उ0/ 2017 दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा सडक सुरक्षा सेल का गठन किया गया है।<br>उपरोक्त गठित सडक सुरक्षा सेल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों हेतु Road Safety Engineering Cell से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। |
| 21 | **Data Collection:** The MoRTH has already taken steps for recording accident data and reports through computerised data entry. The State and Union Territories have been asked to take further action in this regard and make the data public for the information of all stakeholders. This needs to be followed up and no further orders are necessary in this regard. | MoRTH / Police | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |

क्रमशः पेज नम्बर 07 पर.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | **GPS:** The MoRTH has already notified vide G.S.R. No. 1095 (E) dated 28th November, 2016 mandating the fitment of vehicle location tracking devices in all public service vehicles subject to some exceptions. Since this has cost implications, the MoRTH may assist the State Governments and Union Territories to ensure that to the maximum extent possible and within the shortest time frame, location tracking devices must be fitted in all public service vehicles as notified. | MoRTH / Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 23 | **Bus/Truck—Body Building Code:** This has already been notified by the MoRTH with regard to buses vide G.S.R. No. 287 (E) dated 27th April, 2014 and with regard to trucks vide G.S.R. No. 1034 (E) dated 2nd **November,** 2016. No further orders are necessary in this regard. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 24 | **ABS, Air Bags and Headlights:** The MoRTH has already notified for fitment of ABS in motor cycles vide G.S.R. No. 310(E) dated 16th March, 2016 and for four wheelers vide G.S.R. No. 120(E) dated 10th February, 2017. As far as air bags are concerned a standard AIS-145 has already been notified. As regards automated headlights, the MoRTH has notified vide G.S.R. No. 188(E) dated 22nd February, 2016 for fitment of - Automated Headlights On" in two wheelers manufactured on or after 1st apri l 2017 No further orders are required in this regard except the faithful implementation of the various notifications issued by the MoRTH. | Transport | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |
| 25 | **Crash Test:** This too has been notified by the MoRTH and the test for all light motor vehicles is required to be conducted by the testing agency notified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 No further orders are required in this regard except the faithful implementation of the Notifications and crash standards issued by the MoRTH. | MoRTH | आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है। |

मु०अभि० स्तर-II (मु०)

संलग्नक–1

## PILLAR 2 : SAFER ROADS AND MOBILITY

State Name - UTTARAKHAND

| S. No. | ACTIVITY | NODAL AGENCY | RESOURCES REQUIRED (Rs In lac) | PROGRESS | Annexure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The design standards for Indian roads are contained in the Codes of Practice and Standards of the Indian Roads Congress. Detailed instructions in this regard were issued by the Ministry of Road Transport and Highways vide their Circular No. RW/NH-35072/04/2004-S&R(R) Dated 27th April, 2010. No estimate should be sanctioned by the State Government unless the recommended provisions have been issued. | State PWD | N.A. | (1)- Road Safety Audit cell established vied ENC/HOD, PWD, Uttarakhand letter No.-391/76 याता (क)–उ0/2017, dated 12 july, 2017 with comprising One Chief Engineer, One Supertending Engineer & Two Assistant Engineer.<br><br>(2)- Estimates sent to Govt. are being framed as per IRC & MORD/MORT&H Norms. | |
| 2 | Improving Road Marking and signages: All state highways and other roads should have signs and road markings as per IRS standard. | State PWD | @1.00 Lac per kM 12278.00 Lac | Detail for Improving Road Marking and signages. | |

| मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी | मार्ग की कुल लम्बाई किमी0 (लक्ष्य) | दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी0 में) | Year 2018 (Traget) (Km) | जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी0 में) | Year 2019 (Traget) (Km) | Year 2020 (Traget) (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH with State PWD | 2091.34 | 960.00 | 200.00 | 50.00 | 400.00 | 531.34 |
| NH with NHAI | 379.96 | 50.00 | 150.00 | 30.00 | 100.00 | 79.96 |
| NH with NHIDCL/BRO | 482.80 | 30.00 | 150.00 | - | 100.00 | 202.80 |
| **Total** | **2954.10** | **1040.00** | **500.00** | **80.00** | **600.00** | **814.10** |
| State Highways | 4521.00 | 1550.00 | 800.00 | 180.00 | 900.00 | 1271.00 |
| MDR | 2152.00 | 845.00 | 400.00 | 130.00 | 500.00 | 407.00 |
| ODR | 2651.00 | 730.00 | 400.00 | 150.00 | 500.00 | 1021.00 |
| **Total** | **9324.00** | **3125.00** | **1600.00** | **460.00** | **1900.00** | **2699.00** |
| **G.Total** | **12278.10** | **4165.00** | **2100.00** | **540.00** | **2500.00** | **3513.10** |

म0अभि0 स्तर–II (मु0)

| S. No. | ACTIVITY | NODAL AGENCY | RESOURCES REQUIRED (Rs In lac) | PROGRESS | | | | | | | | | | | | Annexure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Road Safety Audit and Implementation of Recommendation: RSAs should be done on all State highways and other roads. Implementation or RSA recommendations by devising a safety measures plan should be put in place. | State PWD | Depends on recommendations of RSA & As per DPR | **Detail for Road Safety Audit and Implementation of Recommendation.** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी | मार्ग की कुल लम्बाई किमी0 (लक्ष्य) | दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी0) | | Year 2018 (Traget) (KM) | | जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी0) | | Year 2019 (Traget) (KM) | | Year 2020 (Traget) (KM) | | |
| | | | | | | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | |
| | | | | NH with State PWD | 2091.34 | 50.00 | - | 995.72 | 325.00 | 300.00 | - | 674.20 | 727.95 | 371.43 | 1038.39 | |
| | | | | NH with NHAI | 379.96 | - | - | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 100.00 | 129.96 | 199.96 | |
| | | | | NH with NHIDCL/BR | 482.80 | - | - | 150.00 | 80.00 | 80.00 | - | 150.00 | 150.00 | 182.80 | 252.80 | |
| | | | | **Total** | **2954.10** | **50.00** | **0.00** | **1245.72** | **485.00** | **430.00** | **50.00** | **974.20** | **977.95** | **684.19** | **1491.15** | |
| | | | | State Highways | 4521.00 | 69.00 | 69.00 | 1500.00 | 400.00 | - | - | 2000.00 | 1000.00 | 952.00 | 3052.00 | |
| | | | | MDR | 2152.00 | 104.00 | 104.00 | 800.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 600.00 | 500.00 | 648.00 | 1348.00 | |
| | | | | ODR | 2651.00 | 383.00 | 383.00 | 800.00 | 200.00 | 70.00 | 70.00 | 600.00 | 500.00 | 868.00 | 1568.00 | |
| | | | | **Total** | **9324.00** | **556.00** | **556.00** | **3100.00** | **800.00** | **220.00** | **170.00** | **3200.00** | **2000.00** | **2468.00** | **5968.00** | |
| | | | | **G.Total** | **12278.10** | **606.00** | **556.00** | **4345.72** | **1285.00** | **650.00** | **220.00** | **4174.20** | **2977.95** | **3152.19** | **7459.15** | |
| 4 | Eliminate high risk stretches - Black Spots on State highways and other roads. (On the basis of accident report by Police Department for the year of 2013, 2014, 2015 & 2014, 2015, 2016) | State PWD | Depends on recommendations of RSA & As per DPR. | **Action Plan for Rectification of Black Spots Enclosed separately on As प्रारूप A** | | | | | | | | | | | | प्रारूप A |

मु०अभि० स्तर-II (मु०)

| S. No. | ACTIVITY | NODAL AGENCY | RESOURCES REQUIRED (Rs In lac) | PROGRESS | Annexure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Improvement of junctions on State Highways and other roads. | State PWD | Depends on recommendations of RSA & As per DPR | Detail for imporvement of Junction. | |

| मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी | मार्ग पर सुधार करने योग्य कुल जंक्शन की संख्या | दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (No.) | | Year 2018 (Traget) (No.) | | जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (No.) | | Year 2019 (Traget) (No.) | | Year 2020 (Traget) (No.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation | Road Safety Audit | Implementation |
| NH with State PWD | 257 | - | - | 157 | - | 50 | - | 100 | 157 | - | 100 |
| NH with NHAI | सूचना अप्राप्त | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| NH with NHIDCL/BR | सूचना अप्राप्त | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| State Highways | 740 | - | - | 200 | - | 10 | - | 440 | 200 | 100 | 540 |
| MDR | 444 | - | - | 100 | - | 10 | - | 344 | 100 | - | 344 |
| ODR | सूचना अप्राप्त | - | - | - | - | | | - | | - | - |
| **Total** | **1441** | **0** | **0** | **457** | **0** | **70** | **0** | **884** | **457** | **100** | **984** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Improve lighting on Highways near Habitations. | | N.A. | This work is carried out by Municipal Bodies. |
| 7 | Removal of dangerous road side objects. | State PWD | | दिसम्बर 2016 तक कुल 259 होर्डिंग्स एंव ऑब्जेक्टस चिन्हित किये गये थे जिन्हे दिसम्बर 2017 तक हटा दिया गया है, वर्तमान में मार्गों पर अन्य चिन्हित होर्डिंग्स की सूचना प्राप्त नहीं है। विवरण निम्नवत है। |

| मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी | मार्गों पर कुल चिन्हित होर्डिंग्स की संख्या वर्ष 2016 तक की प्राप्त सूचना के आधार पर (No.) | दिसम्बर 2017 तक हटाये गये होर्डिंग्स की सख्या (No.) | अप्रैल 2018 में चिन्हित किये गये होर्डिंग्स की संख्या (No.) | दिसम्बर 2018 तक हटाया जाने का लक्ष्य (No.) | वर्ष 2019 में हटाये जाने का ल्ख्य (No.) | वर्ष 2020 में हटाये जाने का ल्ख्य (No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH with State PWD | 234 | 234 | अप्राप्त | - | - | - |
| NH with NHAI | - | - | अप्राप्त | - | - | - |
| NH with NHIDCL/BRO | - | - | अप्राप्त | - | - | - |
| State Highways | 25 | 25 | अप्राप्त | - | - | - |
| MDR | - | - | अप्राप्त | - | - | - |
| ODR | - | - | अप्राप्त | - | - | - |
| **योग** | **259** | **259** | | **0** | **0** | 0 |

मु०अभि० स्तर-II (मु०)

| S. No. | ACTIVITY | NODAL AGENCY | RESOURCES REQUIRED (Rs In lac) | PROGRESS | Annexure |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Training for Road Safety: Engineers involved in planning, design, construction and operation of Highways need to be trained on road safety. In addition, consultants, contractors and concessionaires also need to be trained. Facilityy available at the Indian Academy of Highway Engineers(IAHE). | State PWD | 300.00 | 45 Engineers have been trained for Road Safety by (I.A.H.E.). agenist total no of Engineers in PWD = 1274.<br>For training of balance engineers in Kumaun & Garhwal Zone, proposal recieved from C.S.I.R. New Delhi vide latter no CRRI/QSP/ILT/01/1 B 175 date 25.oct.2017 for payment of the Institutional fee.<br>expenditure on training programm costing rs 19.70 lac to be approved by lead agency (Road Safety) for vide ENC letter No. 82/76याता0(क)–उ0 / 2018, दिनांक 18.01.2018 sent to transport commissioner UK | |
| 9 | Provision of separate roads for bicycles and non motorised modes on all arterial roads and highways. | State PWD | N.A. | Non motorised modes of transport are not common in hills. | |
| 10 | Establish a specialist road safety unit to monitor and improve the safety of road network. | State PWD | N.A. | Road Safety unit as lead agency has been framed. Lead agency is monitoring regularly on all Activities of Road Safety. | |
| 11 | Speed calming measures on Highways near inhabited areas. At present, there is insufficient facility for people to crossover from one side to other as a consequence of which large number of pedestrian deaths are taking place in these areas. Provosion of crossover for pedestrian and safety devices like central verge, railing, grills on both sides of the Highways. There is also need for setting speed limits, caution signs, speed calming measures like table top speed breakers, rumble strips on highways particularly on vulnerable | State PWD | @1.00 Lac per kM<br>12278.00 Lac | **Detail for Speed Calming Measures on Highways Near inhabited area like Provision for pedestrians and safety devices like central verge, ralling,grills on both sides of the Highways (where required), Setting speed limits,caution signs, table top speed breakers,rumbble strips on vulnerable locations.** | |
| 12 | Installation of speed management measures by way of transition from highway to city traffic. | | | To be done by Police & Transport Deptt. | |

| मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी | मार्ग की कुल लम्बाई किमी0 (लक्ष्य) | दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी0 में) | Year 2018 (Traget) (KM) | जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी0 में) | Year 2019 (Traget) (KM) | Year 2020 (Traget) (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH with State PWD | 2091.34 | 960.00 | 200.00 | 50.00 | 400.00 | 531.34 |
| NH with NHAI | 379.96 | 50.00 | 150.00 | 30.00 | 100.00 | 79.96 |
| NH with NHIDCL/BRO | 482.80 | 30.00 | 150.00 | - | 100.00 | 202.80 |
| **Total** | **2954.10** | **1040.00** | **500.00** | **80.00** | **600.00** | **814.10** |
| State Highways | 4521.00 | 1550.00 | 800.00 | 180.00 | 900.00 | 1271.00 |
| MDR | 2152.00 | 845.00 | 400.00 | 130.00 | 500.00 | 407.00 |
| ODR | 2651.00 | 730.00 | 400.00 | 150.00 | 500.00 | 1021.00 |
| **Total** | **9324.00** | **3125.00** | **1600.00** | **460.00** | **1900.00** | **2699.00** |
| **G.Total** | **12278.10** | **4165.00** | **2100.00** | **540.00** | **2500.00** | **3513.10** |

ल0अभि0 स्तर-II (मु0)

| S. No. | ACTIVITY | NODAL AGENCY | RESOURCES REQUIRED (Rs In lac) | PROGRESS | Annexure |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Providing truck lay bays and providing bus bays and bus shelters along State highways. | State PWD | Nill | Target of truck lay bays and bus shlters requierd as blow<br>NH with NHAI - 9 No<br>NH with State PWD - 33 No<br>**Total - 42 No.**<br><br>(i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress.<br>(ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress.<br>To be completed up to December 2020 | |
| 14 | Wayside amenities for long distance drivers: A large number of accidents happen because long distance drivers do not have wayside amenities for rest and recuperation. There is urgent need to establish these amenities on roadsides at national and other highways because accidents generally happen due to fatigue and over work. Transports need to be | State PWD | Nill | Target of truck lay bays and bus shlters requierd as blow<br>NH with NHAI - 9 No<br>NH with State PWD - 33 No<br>**Total - 42 No.**<br><br>(i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress.<br>(ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress.<br>To be completed up to December 2020 | |
| 15 | Develop a model stretch of Safe highway on an accident prone stretch and evaluate results. | State PWD | Depends on recommendations of RSA | Stretch is being selected during road safety audit. | |

मु०अभि० स्तर-II (मु०)

## Compliance Report of Working Group on Engineering:-

मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु 25 मार्च 2011 को **12th National Road Safety Council** की बैठक के दौरान **MoRTH** के अन्तर्गत **Working Group on Engineering (Road)** का गठन किया गया। **Working Group on Engineering** के पत्रांक–**RT-25014 / 03/ 2011-RS, date 11-04-2011** द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। **Working group on Engineering** द्वारा संस्तुति सुझावों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

| Sr. No. | Recomndations of the working group of Engineering (Roads) | Compliance Report |
|---|---|---|
| 1 | All National and State Highways should have signages and road markings as per IRC Standerd. | उत्तराखण्ड में मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण निम्नवत है:<br>NH with State PWD- 2091.34 km<br>NH with NHAI - 379.96<br>NH with NHIDCL/BRO- 482.80<br>**Total 2954.10 km**<br>SH - 4521.00<br>MDR - 2152.00<br>ODR - 2651.00<br>**Total - 12278.10 km**<br>कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष अप्रैल, 2018 तक 4705.00 किमी0 में Road Marking and Sinages का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–<br>NH with State PWD- 1010.00 km<br>NH with NHAI - 80.00 km<br>NH with NHIDCL/BRO- 30.00 km<br>**Total - 1120.00 km (A)**<br>SH - 1730.00 km<br>MDR - 975.00 km<br>ODR - 880.00 Km<br>**Total - 3585.00 km (B)**<br>**Grand Total (A+B) 4705.00 km**<br>मार्गों के अवशेष लम्बाई में कार्य 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। (संलग्नक–1) |
| 2 | Road Safety Audit for entire National Highways and State Highways network to be completed including capacity bulding for safety auditors such as developing training course content, indentifying institution and imparting tranining. | उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों का सेफ्टी आडिट किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–66 / 76याता(क)–उ0 / 2018 दिनांक 12–01–2018 के अन्तर्गत Road Safety Auditors का इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–207 / 76याता(क)–उ0 / 2018 दिनांक 19–02–2018 द्वारा Model RFP समस्त अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है, जिस पर कार्य प्रगति पर है।<br>उत्तराखण्ड में मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण निम्नवत है:<br>NH with State PWD- 2091.34 km<br>NH with NHAI - 379.96<br>NH with NHIDCL/BRO- 482.80<br>**Total 2954.10 km**<br>SH - 4521.00<br>MDR - 2152.00<br>ODR - 2651.00<br>**Total - 12278.10 km** |

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.....

| | | |
|---|---|---|
| | | कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष अप्रैल, 2018 तक 556.00 किमी0 में Road Safety Audit का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–<br>NH with State PWD- 350.00 km<br>NH with NHAI - 50.00 km<br>NH with NHIDCL/BRO- 80.00 km<br>**Total - 480.00 km (A)**<br>SH - 69.00 km<br>MDR - 254.00 km<br>ODR - 453.00 Km<br>**Total - 776.00 km (B)**<br>**Grand Total (A+B) 1256.00 km**<br>NH & State PWD के सम्पूर्ण मार्गों पर Road Safety Audit वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।<br>यह भी अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Reviewed किये जाने के पश्चात नवीन मार्ग दर्शक Guide line प्राप्त होने के पश्चात निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।<br>Group on Engineering द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार परियोजनाओं को Road Safety Consultants द्वारा Reviewed किया जा रहा है तथा उनके द्वारा दिये गये आवश्यक Corrective Measures का अनुपालन भी किया जा रहा है।<br>उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1274 अभियन्ताओं के सापेक्ष अभी तक 45 अभियन्ताओं को Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। अवशेष अभियन्ताओं के (Road Safety) प्रशिक्षण हेतु CRRI (Central Road Research Institute) दिल्ली द्वारा से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। CRRI द्वारा रूपये 19.70 लाख की धनराशि की मांग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–82/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, उक्त धनराशि के प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, वांछित धनावंटन के पश्चात Training हेतु वांछित प्रकिया की जा सकेगी। |
| 3 | Review of Standards/ Guidelines & Evolving New Guidelines with safety focus for NHs & SHs and Developing manuals on traffic control devices. | Indian Road Congress / MoRTH/ MoRD द्वारा प्रतिपादित Standards/Spacifications के अनुसार मार्गों पर Road Safety Measures की कार्यवाही की जाती है। समय–समय पर IRC द्वारा मानकों को संशोधित किया जाता है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।<br>इसी प्रकार आवश्यकतानुसार प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जिसका अनुपालन किया जाता है। |
| 4 | Implimentation of other road safety engineering like speed management measures, provision of service roads, provision of padestiains/ cattle crossings, improvement of inter-state | Road Safety मानकों के अनुसार Speed management हेतु Safety Devices जैसे Rumble Strips / Table Top Speed Breakers, Speed Limit Caution Signages, Informatory Retro-Reflective Sign Boards, Road Marking, आदि |

क्रमशः पेज नम्बर 03 पर.....

| | | |
|---|---|---|
| | Implimentation of other road safety engineering like speed management measures, provision of service roads, provision of padestiains/ cattle crossings, improvement of inter-state border checkposts on NHs, Provision of truck lay bays along NHs and provision of bus bays, bus shelter along NHs and closure of unauthorized median openings. | उत्तराखण्ड राज्य के मार्ग की कुल लम्बाई 12278.10 किमी0 के सापेक्ष 4705.00 किमी0 की लम्बाई में अप्रैल, 2018 तक पूर्ण कर ली गयी है, अवशेष लम्बाई में कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।<br>NH with State PWD- 1010.00 km<br>NH with NHAI - 80.00 km<br>NH with NHIDCL/BRO- 30.00 km<br>**Total - 1120.00 km (A)**<br>SH - 1730.00 km<br>MDR - 975.00 km<br>ODR - 880.00 Km<br>**Total - 3585.00 km (B)**<br>**Grand Total (A+B) 4705.00 km**<br>अन्य Road Safety Measures जैसे Service Road, Truck/Bus lay bays की कार्यवाही प्रगति पर है, 09 Truck/Bus lay bays का निर्माण कार्य, four lane परियोजना के अन्तर्गत प्रगति पर है तथा 33 Truck/Bus lay bays हेतु चार धाम परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।<br>सडक सुरक्षा के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों की सडकों पर निर्मित Unauthorized median openings को बन्द कर दिया गया है। |
| 5 | Engineer envolved in planning, designing, construction and opration of highways to be trained in road safety including development of training modules, identifications of training in engineering measures. | उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1274 अभियन्ताओं के सापेक्ष अभी तक 45 अभियन्ताओं को Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। अवशेष अभियन्ताओं के (Road Safety) प्रशिक्षण हेतु CRRI (Central Road Research Institute) दिल्ली द्वारा से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। CRRI द्वारा रूपये 19.70 लाख की धनराशि की मांग की गयी है, उक्त धनराशि के प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, वांछित धनावंटन के पश्चात Training हेतु वांछित प्रकिया की जा सकेगी। |
| 6 | Thrust on Research on road safety including setting up few Centres of Excellence. | IRC एवं MoRTH द्वारा Road Safety हेतु अनुसंधान एवं समय–समय पर संशोधित Road Safety Code निर्गत किये जाते हैं। |
| 7 | Accident Analysis for Corrective actions. | पुलिस विभाग एवं जनपदीय सडक सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना स्थलों/दुर्घटना सम्भावित स्थलों का Accident Analysis किया जाता है। |

मु०अभि० स्तर–II (मु०)

# लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण एवं अनुपालन आख्या।

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 1 बाईपास रोड होटल सॉलिटियर के समीप, बाईपास रोड देहरादून | | 1– इस स्थल पर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10–10 पटिटयां लगायी गयी हैं, जिसमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय। ताकि यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। | 1. वर्तमान में इस स्थान पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यातायात सर्विस लेन पर धीमी गति से चल रहा है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक–1288 / ससु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक–5357 / 11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक– 1784 / 1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक– 4073 / 1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– सम्बन्धित स्थान पर हल्का कर्व होने के कारण दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना पटट नहीं लगाया गया है। सूचना पटट लगाया जाना उपयुक्त होगा। | 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 2. मोथरोवाला चौक, बाईपास रोड, नेहरू कॉलोनी | | 1– इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10–10 पटिटयां लगायी गयी हैं, जिसमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय। | 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602 / प्रवर्तन / ससु0 / 1–8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821 / 76यात (क)–उ0 / 2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– सम्बन्धित स्थल पर यद्यपि रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, सडक सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा। | 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 3– यद्यपि इस स्थान पर चौडाई पर्याप्त है परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा सडक सुरक्षा की दृष्टि से जंकशन को बढाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना उचित होगा। | 3. इस स्थान पर जंक्शन को बढाये जाने के लिये DPR MoRT&H को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 3. सरस्वती विहार चौक, बाईपास रोड | | 1– इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं परन्तु रम्बल स्ट्रिप में 10–10 पट्टियां लगायी गयी हैं जिनमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। | 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602 / प्रवर्तन / ससु0 / 1–8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821 / 76याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– स्थल पर रम्बल स्ट्रिप होने व "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में संकेतक चिन्ह लगा हुआ नहीं पाया गया, अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप होने के संकेत चिन्ह लगाया जाए। | 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 3– हरिद्वार बाईपास रोड से आईएसबीटी की और जाने वाले मार्ग पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, जो पुलिया से पूर्व बनाये गये हैं, जबकि एक रम्बल स्ट्रिप पुलिया के बाद बनाया जाना था। अतः सडक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिया से पूर्व बनाये गये रम्बल स्ट्रिप को पुलिया के बाद बनाया जाना उपयुक्त होगा। | 3. तिराहे पर मार्ग के दानों ओर रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये है। | |
| | | | | | 4– सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, अतः संकेतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा। | 4. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 5– पुलिया संकरी होने के कारण दुर्घटना की संम्भावना हो सकती है। अतः सडक सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दिवार बना कर पुलिया को स्लैब से कवर करते हुये दोनों और मार्ग को लगभग 03 मी0 चौडा किया जाना उपयुक्त होगा। | 5. इस स्थान पर सुरक्षा दीवार बनाकर मार्ग की चोडाई बढ़ा दी गई है। | |
| 4 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 4. पुरानी चौकी बाईपास चौक | | 1– इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं परन्तु रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिन्ह लगा हुआ नहीं पाया गया। दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10–10 पट्टियां लगायी गयी हैं जिनमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप होने के संकेत चिन्ह लगाये जांय तथा रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय। | 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602 / प्रवर्तन / ससु0 / 1–8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821 / 76याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त |
| | | | | | 2– सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया। सुडक सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक लगाया जाना उपयुक्त होगा। | 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 5. शिमला बाईपास चौक पटेल नगर | | 1– इस स्थल पर मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक लाईट के दोनों और देहरादून की और आने व आईएसबीटी की और जाने वाले मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये है। रम्बल स्ट्रिप में 10–10 पट्टियां लगायी गई हैं जिनमें पेन्ट नहीं किया गया। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराये जाय। | 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602 / प्रवर्तन / ससु0 / 1–8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821 / 76याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– सम्बन्धित स्थल पर ट्रैफिक लाईट चालू अवस्था में नहीं पायी गयी। | 2. ट्रैफिक लाईट चालू कर दी गयी है। | |
| | | | | | 3– शिमला बाईपास रोड की और से शहर की और आने वाले मार्ग पर ट्रैफिक लाईट के पास नाले के ऊपर चैम्बर सडक की सतह से उठे हुए पाये गये हैं, साथ ही सडक पर गढ्ढे पाये गये जो कभी भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। सम्बन्धित कार्य कराया जाना आवश्यक है। | 3. सम्बन्धित नाले के उपर की स्लैब ठीक कराते हुये गड्डे भर दिये गये है। | |
| | | | | | 4– शिमला बाईपास रोड की और से देहरादून शहर की और आने वाले मार्ग पर सडक पर दुकान के स्वामी द्वारा सडक पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए इलैक्ट्रोनिक सामान व कूलर आदि रखे पाये गये हैं। साथ ही सडक के किनारे दूरसंचार विभाग के पोल को सडक पर तिरछा लेटाकर उसको सीमेन्ट / कोलतार से ढका हुआ पाया गया जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जिन्हे हटाया जाना आवश्यक है। | 4.सडक से अनाधिकृत दुकानों का सामाना हटवा दिया गया है। सडक से दूरसंचार विभाग के पोल को हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। | |
| | | | | | 5– सम्बन्धित स्थान पर ही बायी तरफ वैस्टर्न ब्लू बार के आस–पास सडक के किनारे नाला खुला हुआ पाया गया, जिसे कवर किया जाना आवश्यक है। साथ ही सडक पर बिजली के एक पोल को सडक से हटाकर पीछे स्थापित किया जाना आवश्यक है। सडक सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कार्य कराये जाने आवश्यक होंगे। | 5. खुले हुये नाले को कवर कर दिया गया है तथा सम्बन्धित विभाग को बिजली के पोल हटा कर पीछे स्थापित किये जाने को लिख दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 6. रांघडवाला चुंगी, आईएमए के पास | | 1– इस स्थल पर दोनो और रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, परन्तु रम्बल स्ट्रिप में 5–5 पट्टियां लगायी गयी है, जो आईआरसी की गाईड लाईन्स के मानकों के अनुसार नहीं पायी गयी तथा उनमें पेन्ट भी नहीं पाया गया। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप मानकों के अनुसार बनायी जाय तथा रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। | 1. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602/प्रवर्तन/ससु0/1–8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821/76याता (क)–उ0/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– स्थल पर रम्बल स्ट्रिप होने के सम्बन्ध में संकेतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया, परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचनापट्ट नहीं लगाया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में सूचना पट्ट लगाया जाए। | 2. रम्बल स्ट्रिप मानकों के अनुसार ठीक कर थर्मोप्लास्टिक पेंट कर दिया गया है। | |
| | | | | | 3– सम्बन्धित स्थल पर (देहरादून से प्रेमनगर की ओर जाते हुये) तिराहे पर बायी और छावनी परिषद, देहरादून का टोल टैक्स बैरियर, जो कि मुख्य सडक पर ही स्थापित है, जिसके सामने की ओर एक नाला खुली हुयी स्थिति में पाया गया साथ ही टोल टैक्स बरियर के पास व सामने सडक पर पेड एवं बिजली का पोल लगा पाया गया। सम्बन्धित स्थल पर मार्ग में कर्व होने एवं उपरोक्त कारणों से सम्बन्धित स्थल पर कभी भी दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः टोल–टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थापित करने व सम्बन्धित स्थल पर स्थापित पेडों की लॉपिंग/कटिंग एवं नाले को कवर किये जाने की आवश्यकता है। | 3. टोल टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थापित करने तथा पेडों की लॉपिंग/कटिंग एवं बिजली के पोल हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। | |
| 7 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 7. पीर बाबा मोड, देहरी चौक, प्रेमनगर | | 1– इस स्थल पर एक और रम्बल स्ट्रिप बना पाया गया , रम्बल स्ट्रिप में 10 पट्टियां लगायी गयी हैं। रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट नहीं किया गया है, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दृष्टिगोचर नहीं है, और न ही पूर्व में ढलान से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोयी सूचना पट्ट लगाया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मो–प्लास्टिक पेन्ट कराया जाय तथा गति अवराधक होने का सूचना पट्ट लगाया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। | 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट करा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602/प्रवर्तन/ससु0/1–8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821/76याता (क)–उ0/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– लो0नि0वि0 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार सम्बन्धित स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है, परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। सडक सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा। | 2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 3– इस स्थान पर मार्ग की चौडाई पर्याप्त नहीं है तथा ब्लाईन्ड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनायें अधिक होती हैं। अतः उक्त मोड के स्थापित कर्व की कटिंग करते हुये लाभ लिया जा सकता है। | 3. सम्बन्धित स्थल के सुधार हेतु 4 lane चौडीकरण हेतु DPR Consultancy का कार्य प्रगति पर है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला | 8 लॉ कॉलेज के सामने, प्रेमनगर | | 1– इस स्थल पर दोनो और रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, तथा दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10–10 पट्टियां लगायी गयी हैं, जिनमें पेन्ट नही किया गया है। रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया। परन्तु दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना पटट लगा नहीं पाया गया। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मो–प्लास्टिक पेन्ट कराया जाय तथा "दुर्घठना बाहुल्य क्षेत्र" सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। | 1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1602/प्रवर्तन/ससु0/1–8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक–821/76याता (क)–उ0/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक– 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– सम्बन्धित स्थल पर स्कूल/ कॉलेज है सम्बन्धी सूचनापटट तिरछा पाया गया । जिसे ठीक कराया जाना होगा। | 2. इस स्थान पर स्कूल/कॉलेज है का सूचना पट्ट ठीक करा दिया गया है। | |
| | | | | | 3– सम्बन्धित स्थल के पास सडक के किनारे पेड पाया गया, जिसका कटान किये जाने की आवश्यकता है। | 3. पेडों की लॉपिंग/कटिंग हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है। | |
| | | | | | 4– सम्बन्धित स्थल पर कॉलेज के सामने कतिपय स्थानों पर नाला खुला हुआ पाया गया जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः नाले को कवर किया जाना आवश्यक है। | 4. खुले हुये नाले को कवर करने हेतु कारवायी की जा रही है। | |
| 9 | देहरादून | प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून | 9– मैगी प्वाईन्ट, मसूरी रोड, देहरादून | | 1– इस स्थल पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं। एक रम्बल स्ट्रिप मैगी प्वाईन्ट पर स्थित दुकानों से पहले मसूरी की ओर तथा दूसरा रम्बल स्ट्रिप दुकानों के पश्चात मोड समाप्त होने के बाद देहरादून की ओर। | 1–कार्य पूर्ण। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक–1288/ससु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक–5357/11सी0 (1) दिनांक 16 10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक– 1784/1 सी0 दिनांक 12.06. 2017 एवं पत्रांक– 4073/1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– स्थापित किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8–8 पट्टियां लगायी गयी हैं। अधिशासी अभियन्ता के अनूसार मसूरी की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप पर साधारण पेन्ट किया गया था परन्तु वह वाहनों के आवागमन के कारण खराब हो गया है। | 2– स्थापित किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8–8 पट्टियों के स्थान पर 15–15 पट्टियां लगा दी गयी हैं। जिन पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट किया गया है। | |
| | | | | | 3– रम्बल स्ट्रिप से पूर्व लगाया गया सूचना पट्ट भी दर्शनीय स्थल पर नहीं लगाया गया है और न ही रात्री के समय अथवा तीव्र गति से आती वाहन को उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय है। अतः उपयुक्त होगा कि उक्त स्थल पर पर्याप्त सूचना पट्ट लगाये जाय, एवं रम्बल स्ट्रिप पर इस प्रकार की पेन्टिंग की जाय कि उन्हें दिन व रात्री में देखा जा सके। | 3– उक्त स्थल पर सूचना पट्ट एवं रम्बल स्ट्रिप लगा दिये गये हैं जिन्हें दिन एवं रात्री के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। | |
| | | | | | 4– देहरादून की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप से पूर्व सडक पर सफेद मार्किंग नही की गयी, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है, और न ही चढाई से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पटट ही लगाया गया है। | 4– देहरादून की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप से पूर्व सडक पर थर्मो– प्लास्टिक पेन्ट की गयी है, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय हो गया है तथा चढाई से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का सूचना पटट भी लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 5– लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है परन्तु स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। | 5– लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है जिस पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | देहरादून | प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून | 9– मैगी प्वाईन्ट, मसूरी रोड, देहरादून | | 6– यद्यपि इस स्थान पर मार्ग की चौडाई पर्याप्त है परन्तु एक ब्लाईण्ड मोड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घठनाये अधिक होती हैं। अतः यदि उक्त मोड के पास स्थापित कर्व की थोडी कटिंग कर दी जाय तो इसका लाभ हो सकता है। | 6– ब्लाईण्ड मोड के पास स्थापित कर्व की कटिंग कर दी गयी है। | |
| | | | | | 7– यह भी अवगत कराना है कि रम्बल स्ट्रिप के नजदीक सीमेन्ट का धारक दीवार टूटा हुआ पाया गया है,जिस पर दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अतः लो0नि0वि0 द्वारा उस स्थान पर शीघ्र ही धारक दीवार का निर्माण किया जाना आवश्यक है। | 7– लो0नि0वि0 द्वारा उक्त स्थल पर टूटी हुयी धारक दीवार का निर्माण कर दिया गया है। | |
| 10 | देहरादून | प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून | 10– शिव रत्न केन्द्र, (शिव मन्दिर) मसूरी रोड, देहरादून | | 1– इस स्थल पर शिव रत्न केन्द्र मन्दिर के पश्चात देहरादून की ओर एक रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी है। | 1– कार्य पूर्ण। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक–1288 / ससु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक–5357 / 11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक– 1784 / 1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक– 4073 / 1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– स्थापित किये गये रम्बल स्ट्रिप में 8 पट्टियां लगायी गयी हैं। | 2– स्थापित किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8–8 पट्टियों के स्थान पर 15–15 पट्टियां लगा दी गयी हैं। जिन पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट किया गया है | |
| | | | | | 3– रम्बल स्ट्रिप से पूर्व सडक पर सफेद मार्किंग नहीं की गयी है, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है, और न ही चढाई से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का काई सूचना पट्ट ही लगाया गया है। | 3– उक्त स्थल पर सूचना पट्ट एवं रम्बल स्ट्रिप लगा दिये गये हैं जिन्हें दिन एवं रात्री के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। | |
| | | | | | 4– लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है, परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पटट नही लगाया गया है। | 4– लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है जिस पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है। | |
| 11 | देहरादून | प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून | 11. किशन नगर चौक के पास, चकराता रोड, देहरादून | | 1– चकराता रोड पर यमुना कालोनी एवं किशन नगर चौक के मध्य 01 रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी हैं। | कार्य पूर्ण | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक–1288 / ससु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक–5357 / 11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक– 1784 / 1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक– 4073 / 1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2– स्थापित किये गये रम्बल स्ट्रिप में 8 पट्टियां लगायी गयी हैं। | कार्य पूर्ण | |
| | | | | | 3– उक्त स्थल पर स्थापित रम्बल स्ट्रिप प्लास्टिक मैटीरियल की लगायी गयी है, जिसकी मोटाई 1 सेमी है। रम्बल स्ट्रिप पर यद्यपि सफेद रंग से मार्किंग की गयी है, परन्तु ट्रैफिक के कारण वे दर्शनीय नहीं रह गयी है। | कार्य पूर्ण | |
| | | | | | 4– मार्ग पर वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। | कार्य पूर्ण | |
| | | | | | 5– लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है, परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। | कार्य पूर्ण | |
| | | | | | 6– यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित है। उक्त स्थल के पास ही मुख्य सडक से एक साईड लेन मिलती है। नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर रम्बल स्ट्रिप नहीं लगायी जाती हैं अपितु साईड लेन में भी रम्बल स्ट्रिप लगायी जानी चाहिये। | कार्य पूर्ण | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 12. मियांवाला पुल के पास | | 1. सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।<br>अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. लिंक मार्ग मियांवाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये, जो सुरक्षा की दृष्टी से आवश्यक है। | | |
| | | | | | 3. सडक के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व सम्बन्धित जंक्शन की बांईडिंग किया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | | | 4. सम्बन्धित स्थल पर यातायात के दबाव को देखते हुये नियमित रूप से यातायात को नियंत्रण हेतु यातयात पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है। | | |
| | | | | | 5. लिंक रोड के किनारे सडक पर विद्युत पोल लगा पाया गया, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | | | 6. मार्ग पर मानकों के अनुरूप कोई सूचनात्मक /चेतावनी का संकेतक चिन्ह नही पाया गया। | | |
| 13 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 13. कुंआवाला वनबीट चौकी के पास | | 1. सम्बन्धित स्थल पर डोईवाला की ओर जाते हुये बाईं ओर विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर हेतु हट बनाई गयी है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।<br>अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि सडक का चौडीकरण करते हुये सम्बन्धित कार्य करा लिया जायेगा। | | |
| | | | | | 3. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं पाया गया, जो लगाया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | | | 4. डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सडक के किनारे पर बजरी /मलवा पडा हुवा पाया गया, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना हैं। | | |
| | | | | | 5. सडक पर जगह–जगह गड्ढे पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढावा दे रहे हैं, सडक के लेपित सतह के किनारे दोनो ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है जो सडक दुर्घटनाओ का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 14. हर्रावाला पुलिस चौकी के पास लक्ष्मण सिद्ध मन्दिर मोड डोईवाला | | 1. लक्ष्मण सिद्ध मन्दिर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व कैट आईज स्थापित किया जाना आवश्यक है।<br>2. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा पीले बिलिंकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।<br>3. आवादी क्षेत्र की तरफ गति सीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।<br>4. समबन्धित स्थल पर 100 मीटर के अन्दर सडक पर गड्ढे पाये गये जिन्हें तत्काल भराया जाना आवश्यक है। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।<br>अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| 15 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 15. फतेहपुर चौक, हरिद्वार रोड, लालतप्पड | | 1. सम्बन्धित स्थल आवादी वाला क्षेत्र है, निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।<br>2. सम्बन्धित स्थल पर पुलिया का निर्माण अधूरा पाया गया तथा नाले में पानी का भराव पाया गया, सम्बन्धित स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई कॉसन बोर्ड/बेरियर नही लगा गया है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।<br>अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 16. निकट पी0एन0बी0 बैंक, हरिद्वार मुख्य मार्ग लालतप्पड | | 1. सम्बन्धित स्थल पर वर्तमान में फोरलाईन मार्ग बन जाने के कारण दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र नहीं पाया गया। फिर भी आवादी का क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. सम्बन्धित स्थल पर सडक के किनारे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन बोर्ड लगा पाया गया, जिसे तत्काल हटाया जाना आवश्यक है। | | |
| 17 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 17. छिद्दरवाला रायवाला | | 1. सम्बन्धित स्थल पर रायवाला की ओर सडक के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण पाया गया, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी हुयी है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. दांयी ओर सडक पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। सडक पर साईनेज बोर्ड नहीं लगे पाये गये। | | |
| | | | | | 3. लिंक छिद्दरवाला मार्ग पर ब्रेकर नहीं पाये गये जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। | | |
| | | | | | 4. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा वाले पीले बिलिंकर के साथ दोनो ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | | | 5. सडक के किनारे बांयी ओर विद्युत पोल हटाया जाना होगा। | | |
| | | | | | 6. घनी आवादी क्षेत्र होने के कारण सम्बन्धित स्थल पर निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक था जो नहीं लगाया गया है। | | |
| | | | | | 7. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का कार्य अपूर्ण होने के कारण फॉरलाईन का यातायात का दबाव एक ही मार्ग पर आ जाने व वाहनों का संचालन तेज रफ्तार में होने से दुर्घटना की सम्भावना बनी हुयी है। अतः दोनों ओर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 18. सत्यनारायण मन्दिर रायवाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं पाये गये हैं। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओ को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर सडक की बांयी ओर वन विभाग की चौकी सरखण में पायी गयी है, जिसे हटाये जाने हेतु कार्यवाही की जाय। | | |
| | | | | | 3. सम्बन्धित स्थल पर सडक पर डिवाईडर नही बनाये गये हैं, जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। | | |
| | | | | | 4. सत्यनारायण मन्दिर के पास मुख्य मार्ग पर गड्ढा पाया गया, जिसे तत्काल भरवाया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। | | |
| | | | | | 5. सम्बन्धित स्थल पर दोनो ओर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है, जो तत्काल पूर्ण कराया जाना होगा। | | |
| | | | | | 6. सडक के लेपित सतह के किनारे दोनो ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। | | |
| | | | सत्यनारायण मन्दिर (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1– मन्दिर से आगे तिराहे की और सडक असमतल तथा ढलाव वाली होने के कारण दुपहिया वाहनों के लिए संवेदनशील है। जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। | | सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश का पत्रांक–1196/प्रवर्तन/ स0सु0/2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। |
| 19 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 19. खण्डगांव पुलिया रायवाला | | 1. रायवाला से आगे मुल्तान सेवा संस्थान की ओर जोन वाले मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित स्थल पर नाली खुली होने के कारण कभी भी दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। निरीक्षण के दौरान लीड एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित स्थल पर अस्थाई व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु ड्रम लगवाये गये। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त |
| | | | | | 2. सम्बन्धित स्थल घनी आवादी वाला क्षेत्र है अतः इस स्थल पर निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र से सम्बन्धित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| | | | | | 3. स्थल निरीक्षण के समय आस पास के निवासियों द्वारा लीड एजेन्सी को यह अवगत कराया गया कि रायवाला बाजार में शराब की दुकान होने के कारण सायकाल 4-5 बजे से रात्री तक अत्यधिक भीड होने व सडक पर वाहनों को अनाधिकृत रूप से खडा करने के कारण दुर्घटनायें होती हैं, अतः दुर्घटनाओ पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु नियमित रूप से प्रवर्तन/पुलिस चैकिंग की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 19. खण्डगांव पुलिया रायवाला | | 4. सम्बन्धित क्षेत्र के लगभग 800 मी0 मार्ग भाग पर जगह–जगह पर गड्ढे पाये गये जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ गयी है, जिन्हे तत्काल भराया जाना होगा। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनाक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनाक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एव ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927 / 76 याता(क)–उ0 / 2017 दिनाक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त |
| | | | | | 5. सम्बन्धित स्थल पर सडक जंक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक होगा। | | |
| | | | | | 6. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा वाले पीले बिलिकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | | |
| 20 | देहरादून | एन0एच0ए0आई0 देहरादून | 20 मोतीचूर रायवाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व गुलदार / हाथी कोरीडोर बोर्ड नहीं लगे पाये गये। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927 / 76 याता(क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. मुख्य मार्ग पर जगह–जगह गड्ढे पाये गये, जिन्हे तत्काल भरवाया जाना होगा। | | |
| | | | | | 3. सडक के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। | | |
| | | | | | 4. रेलवे फाटक से आगे पुल से पहले मार्ग के दोनो ओर धारक दिवार का निर्माण करते हुये सडक का चौडीकरण किया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | | | 5. पुल भाग क्षेत्र में जगह–जगह पर गड्ढे पाये गये, जिन्हे पूर्ण किया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | मोतीचूर रेलवे क्रॉसिग (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1– मार्ग संकरा है फ्लाईओवर निर्माणाधीन है।मार्ग चौडीकरण किया जाना चाहिये। 2– मार्ग के दोनो ओर परावर्ती खम्भे लगाये जाने चाहिये। | | सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश का पत्रांक–1196 / प्रवर्तन / स0सु0 / 2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | देहरादून | अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश | 21. आर0टी0ओ0 कार्यालय के पास, हरिद्वार बाईपास रोड | | 1. ''दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र'' का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 1. ''दुर्घटना बाहुल क्षेत्र'' का बोर्ड लगा दिया गया है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927 / 76 याता(क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।<br>अधिशासी अभियन्ता,ऋषिकेश का पत्रांक–210 / 1सी0 दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त।<br>अधीक्षण अभियन्ता,नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक 650 / 76 सडक सुरक्षा दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। |
| | | | | | 2. मार्ग पर 4 से 5 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धरित मानको के अनुरूप नहीं है, जिसे मानको के अनुसार पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। | 2. आडिटर के सुझाव पर ही कम लगाये गये है। | |
| | | | | | 3. मार्ग पर निर्मित रम्बल स्टिप दर्शनीय नहीं हैं। रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से पेन्टिंग किया जाना आवश्यक है। | 3. थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कर दिया गया है। | |
| | | | | | 4. सडक के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। | 4. मार्ग को ठीक करा दिया गया है, परन्तु पूर्णतः ठीक कराया जाना अभी सम्भव नहीं है, क्योंकि मार्ग ऑल वेदर रोड के अर्न्तगत आ रहा है। जिसमें इस मार्ग को चार लेन में चौडीकरण का कार्य शीघ्र प्रस्तावित है। अतः अग्रेत्तर कार्यवाही एन0एच0आई0 द्वारा की जानी है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | देहरादून | अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश | 22. सात मोड, देहरादून ऋषिकेश (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1. ऋषिकेश की ओर से आने वाले वाहनों के लिए आधे मार्ग भाग पर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाना आवश्यक है, ताकि मोड पर तीव्र गति से आने वाले वाहनों की गति को कम किया जा सके एवं दुर्घटना से बचा जा सके। | 1. तीव्र मोड होने के कारण रोड सेफ्टी आडिटर श्री चाण्डी गांगुली (LEA International Ltd. Canada) ने सुझाया था कि रम्बल स्ट्रिप ना बनाये जांय। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनाक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता,ऋषिकेश का पत्रांक–210 / 1सी0 दिनाक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131 / 02 / रा0मा0–नि0–2 / 2017 दिनाक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 246.78 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।<br>अधीक्षण अभियन्ता,नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक 650 / 76 सडक सुरक्षा दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। |
| | | | | | 2. सम्बन्धित स्थल पर हाथी कोरीडोर क्षेत्र है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 2. हाथी कोरीडोर क्षेत्र है का बोर्ड लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 3. मन्दिर के पास यद्यपि 3 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया है। | 3. तीव्र मोड होने के कारण रोड सेफ्टी आडिटर श्री चाण्डी गांगुली (LEA International Ltd. Canada) ने सुझाया था कि रम्बल स्ट्रिप ना बनाये जांय। | |
| | | | | | 4. सम्बन्धित स्थल पर ओवरटेकिंग, ब्लाईण्ड मोड का बोर्ड नहीं लगा पाया गया, जो लगाये जाने आवश्यक है। | 4. ओवरटेकिंग, ब्लाईण्ड मोड का बोर्ड लगा दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | सात मोड (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1. वन विभाग से हाथी बाहुल्य क्षेत्र एवं वाहन धीरे चलायें का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।<br>2. गतिसीमा के बोर्ड व रिफ्लेक्टर लगाये जाने अति आवश्यक है। | बोर्ड लगा दिये गये है। | सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेशपत्रांक–1196 / प्रवर्तन / स0सु0 / 2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। |
| 23 | देहरादून | अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश | 23. काली मन्दिर देहरादून ऋषिकेश | | 1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। जिसे लगाया जाना आवश्यक है। | 1. "दुर्घटना बाहुल क्षेत्र" का बोर्ड लगा दिया गया है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एव ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश के पत्रांक–210 / 1 सी0 / दिनांक 18.01.2018 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक 927 / 76 याता (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता ऋषिकेश का पत्रांक–210 / 1सी0 दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक 131 / 02 / रा0मा0 नि0– 2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 246.78 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।<br>अधीक्षण अभियन्ता,नवम वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक 650 / 76 सडक सुरक्षा दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। |
| 24 | देहरादून | एन0एच0 डोईवाला | 24. काले की ढाल, हरिद्वार रोड ऋषिकेश (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1 सडक पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" व हल्का मोड होने का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 1. सडक पर आगे तीव्र ढाल एवं मोड है, का बोर्ड लगा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एव ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2 ऋषिकेश की ओर जोने वाले मार्ग पर ढाल से उतरने वाले वाहनों के लिये रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया जाना आवश्यक है। | 2. रम्बल स्ट्रिप का कार्य कर दिया गया है। | |
| | | | | | 3. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जाना आवश्कयक है। | 3. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जा चुका है। | |
| | | | | | 4. शास्त्री नगर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर कॉसन बोर्ड / ब्रकर का निर्माण किया जाना आवश्यक है। | 4. बोर्ड लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 5. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा पीले बिलिंकर के साथ दोनो ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | 5. मुख्य मार्ग पर सौर उर्जा पीले बिल्किर के साथ दोनों और चेतावनी के बोर्ड लगा दिये जायेंगे। | |
| | | | | | 6 आवादी क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | 6. गति सीमा का बोर्ड लगा दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | काले की ढाल (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या) | | 1. गति अवरोधक एवं साईन बोर्ड का होना आवश्यक है। | | सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश का पत्रांक–1196 / प्रवर्तन / स0सु0 / 2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। |
| 25 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोइवाला | 25. भारद्वाज क्लीनिक के पास ऋषिकेश | | 1. रम्बल स्ट्रिप का निर्माण नहीं किया गया। | 1. रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2. सडक के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हुये हैं व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे हैं, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके । | 2. सडक के लेपित सतह के किनारे इन्टर लोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण किया जा रहा है। | |
| | | | | | 3. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, घनी आवादी क्षेत्र, निर्धारित गति सीमा सम्बन्धी बोड नही लगे पाये गये। | 3. बोर्ड लगाने की कार्यवाही गतिमान है। | |
| | | | | | 4. सडक के दोनो ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। | 4. उक्त स्थल पर लगभग 18 से 20 मी0 आर0ओ0डब्ल्यू0 उपलब्ध है। | |
| | | | | | 4. सडक के दोनो ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। | 4. उक्त स्थल पर लगभग 18 से 20 मी0 आर0ओ0डब्ल्यू0 उपलब्ध है। | |
| 26 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोइवाला | 26. छबरा तिराहा सहसपुर देहरादून | | 1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2. मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट नहीं होने के कारण रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं हैं। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सडक पर सडक विभाजित पट्टी बनाया जाना आवश्यक है। | 2. मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट करा दिया गया है, जिस कारण रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। | |
| | | | | | 3. लिंक रोड पर 8 रम्बल स्ट्रिप बने हैं जो आईआरसी की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। | 3. उक्त मार्ग सम्बन्धित खण्ड से नहीं हैं यह मार्ग सम्भावित निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून से सम्बन्धित है। | |
| | | | | | 4. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर की पेड की टहनियां सडक पर फैली हुयी पायी गयी जिनकी कटिंग / लॉपिंग किया जाना आवश्यक है। | 4. पेड की टहनियां की कटिंग एवं लॉपिंग के लिये वन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोइवाला | 27. लाघा रोड तिराहा सहसपुर | | 1. इस स्थल पर ब्रांच रोड में निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया ।<br>2. ब्रांच रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।<br>3.मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेन्ट नहीं किया गया । | 1. निर्धारित गतिसीमा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।<br>2. ब्रांच रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड लगा दिया गया है।<br>3. मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757/1 सी0/दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| 28 | | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 डोइवाला | 28. हरबर्टपुर मजार के पास | | 1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं पाये गये।<br>2. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, हल्का मोड है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।<br>3. स्थल पर मजार के पास स्थित पेड की लॉपिंग किया जाना आवश्यक है। | 1. रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये है।<br>2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट लगा दिया गया है।<br>3. पेड की टहनियों की कटिंग एवं लॉपिंग के लिये वन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757/1 सी0/दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | देहरादून | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून | 29. धर्मावाला चौक सहसपुर | | 1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 1. बोर्ड लगा दिया गया है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131 / 02 / रा0मा0–नि0–2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 622.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। |
| | | | | | 2. रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये। | 2. रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये है। | |
| | | | | | 3. सम्बन्धित स्थल पर चौक के पास स्थित पेड को हटाया जाना आवश्यक है। | 3. सम्बन्धित स्थल पर पेड हटाने हेतु वन विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें। | |
| | | | | | 4. चौक का विभाजन कर जक्शन बनाया जाना आवश्यक है। जिसे दुर्घटना होने से रोका जा सके। | 4. DPR sent | |
| | | | | | 5. सम्बन्धित स्थान पर जिला पंचायत देहरादून द्वारा लदान, ढुलान शुल्क वसूल करते हुये पाये गय, जिनके द्वारा सडेक के दोनों ओर चैक पोस्ट स्थापित कर अस्थाई बेरियर सडक पर रखे गये हैं, जिस कारण भार वाहनों के खडे होने से अन्य वाहनों की आवाजाही वाधित हो रही है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित चैक पोस्ट को हटाया जाना आवश्यक है। | 5. सम्बन्धित स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित चैक पोस्ट को हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कृपया अपने स्तर से भी जिला पंचायत विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें। | |
| 30 | देहरादून | एन0एच0 | 30. कुल्हान से पहले पावर हाउस मोड विकासनगर | | 1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये है। | 1. रम्बल स्ट्रिप लगा दिये गये है। | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनाक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एव ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्राक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनाक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्राक–757 / 1 सी0 / दिनाक 30.11.2017 |
| | | | | | 2. मुख्य मार्ग पर विभाजन पट्टी का निर्माण नहीं किया गया । | 2. सम्बन्धित स्थल पर विभाजन पट्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। | |
| | | | | | 3. सम्बन्धित स्थल पर तीव्र मोड ढलान क्षेत्र है। अतः इस स्थल पर रम्बल स्ट्रिप, कैट आईज स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। | 3. रम्बल स्ट्रिप एवं कैट आईज लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है जिसे लगाया जाना आवश्यक है। | 4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट | 31. लेहमन पुल के पास विकासनगर | | 1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट नहीं लगा पाया गया। | 1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट दोनों ओर लगा दिये गये है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, बडकोट का पत्रांक–2530/2 सी0/दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का चेतावनी बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 2. चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है। | |
| | | | | | 3. सम्बन्धित स्थल पर पेडों की लॉपिंग/कटिंग की जाना आवश्यक है। | 3. सम्बन्धित स्थल पर पेडों की लॉपिंग/कटिंग करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि सरक्षण विभाग, कालसी देहरादून को पत्र सं0 कैम्प–मेमा–23 बी0 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। | |
| | | | | | 4. सडक के किनारे लगे विद्युत पोल को हटाया जाना आवश्यक है। | 4. सडक किनारों पर विद्युत पोल हटाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकास नगर देहरादून को पत्र स0 कैम्प–मेमो–22बी0 दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है। | |
| | | | | | 5. सडक के किनारे दोनो ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। | 5.सडक के दोनो ओर अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस भेजे गये हैं। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट | 32 ब्राईट एन्जल स्कूल लाईन जीवनगढ | | 1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे स्कूल है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। | 1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक--927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, बडकोट का पत्रांक–2530 / 2 सी0 / दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2. रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं हैं, जिन पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाना आवश्यक है। | 2. रम्बल स्ट्रिप साईन बोर्ड एवं थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कर दिया गया है। थर्मोप्लास्टिक पेन्ट द्वारा ऐज लाईन,सेन्टर लाईन, जेब्रा कॉसिंग आदि का कार्य करा दिया गया है। | |
| | | | | | 3. बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल के गेट के पास निर्मित बरसाती नाले को कवर किया जाना आवश्यक है, तथा सडक का कच्चा भाग सडक के लेपित स्थल से काफी नीचा है जिसको सडक की सतह तक समान किया जाना आवश्यक है। तथा उक्त सडक पर गड्ढों को भरा जाना भी आवश्यक है। | 3. कार्य पूर्ण करा दिया गया है। | |
| | | | | | 4. स्कूल के दूसरी ओर दून वैल्डिंग द्वारा मार्ग पर समान ईंट / बजरी एकत्रित कर अतिक्रमण किया गया, जो दुर्घटनाओं को बढावा दे रहा है जिसे हटाया जाना आवश्यक है। | 4. सम्बन्धित व्यक्ति को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र स0 कैम्प–मेमो–12बी0 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा नौटिस भेजा गया है। | |
| | | | | | 5. सम्बन्धित स्थल पर पैराफिट वॉल बनाया जाना आवश्यक है। | 5. पैरापिट वॉल बना दी गयी है। | |
| | | | | | 6. सम्बन्धित मार्ग पर स्थान-स्थान पर नगर पालिका द्वारा बोर्ड लगाये गये हैं, जो दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, जिन्हे हटाया जाना आवश्यक है। | 6. रा0मा0 पर नगर पालिका द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु पत्र सं0 – मेमो0--21 बी0 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा सूचित किया गया है। | |
| | | | | | 7. श्री पंकज अग्रवाल, ग्राम प्रधान, जीवनगढ, मो0 न0 9927675942 द्वारा लीड ऐजेन्सी को यह अवगत कराया गया कि जीवनगढ क्षेत्र में सडक के किनारो पर व्यवसायियों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर समय–समय पर दुर्घटनायें घटित हो रही हैं, उनके द्वारा जन सुरक्षा की दृष्टी से अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुराध किया गया। अतः लीड एजेन्सी का सुझाव है कि विकास नगर क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु जिला प्रशासन पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान संचालित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। | 7. रा0मा0 के किनारो पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेज दिये गये हैं, साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | देहरादून | एन0एच0 | 33. अम्बाडी मोड डाक पत्थर | | 1. सम्बन्धित स्थल पर मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा से संचालित पीला बिलिंकर व कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। | 1. उक्त स्थान पर सौर उर्जा संचालित पीला बिल्किर एवं कैट आई लगा दी गयी है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनाक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनाक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एव ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनाक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, बडकोट का पत्रांक–2530/2 सी0/दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2. लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराये जाने की आवश्यकता है। | 2. लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट करा दिया गया है। | |
| | | | | | 3. सडक के किनारे पर अनाधिकृत रूप से सब्जी की दुकाने लगायी गयी हैं, जिनसे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है। | 3. अनाधिकृत रूप से लगाई दुकानों को हटाने हेतु नौटिस भेजा गया है। | |
| | | | | | 4. सम्बन्धित मार्ग पर पेडों की लॉपिंग किया जाना आवश्यक है। | 4. पेडों की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कालसी को पत्र प्रेषित किया गया है। | |
| 34 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट | 34. यमुना पुल मोड बाडवाला, विकासनगर | | 1. यमुना पुल से पूर्व बाडवाला की ओर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाना आवश्यक है। | 1. रम्बल स्ट्रिप बना दी गयी है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनाक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, बडकोट का पत्रांक–2530/2 सी0/दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| | | | | | 2. निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे मोड है का चेतावनी बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | 2. निर्धारित गतिसीमा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे मोड है का चेतावनी बोर्ड लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 3. पुल से पूर्व लिंक मार्ग पर सौर ऊर्जा संचालित पीला बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | 3. बिल्किर लगा दिये गये है | |
| | | | | | 4. राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के 0.00 किमी0 से 16.00 किमी0 तक मार्ग के किनारों पर स्थित वृक्ष जो मार्ग को वाधित कर रहे हैं की लॉपिंग करायी जानी आवश्यक है। | 4. रा0मा0–123(507) के किमी0 0.00 से 16.00 तक मार्ग के किनारे पर परिवहन में वाधक बृक्षों की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी भूमि सरक्षण विभागा कालसी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। | |
| | | | | | 5. मार्ग पर परिवहन हेतु अवरोधक बने विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु कार्यवाही की जानी आवश्यक है। | 5. रा0मा0 पर सुरक्षित यातायात हेतु अवरोध बने विद्युत पोल हटाने जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकासनगर देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। | |
| | | | | | 6. नगर पालिका विकास नगर एवं नगर पंचायत हर्बटपुर के द्वारा रा0मा0 पर लगाये गये होर्डिंग्स जो यातायात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। | 6. रा0मा0 पर लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु नगर पालिका विकास नगर एवं नगर पंचायत हर्बटपुर को आवश्यक कार्यवही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। | |
| | | | | | 7. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थानीय व्यापारियों द्वारा एकत्र किये गये ईंट, पत्थर, सरियों एवं दुकानों का समान हटाये जाने हेतु पत्र कार्यवाही। | 7. रा0मा0 के दोनो और स्थानीय व्यापारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नोटिस भेजे गये है, साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | देहरादून | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून | 35. सेन्टज्यूड चौराहा | | 1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लेपित सतह व डिवाइडर क्षतिग्रस्त पाया गया। | 1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लेपित सतह व डिवाइडर पर मरम्मत करा दी गयी है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131/02/रा0मा0–नि0– 2/2017 दिनांक 02..02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 60.15 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। |
| | | | | | 2. यातायात संचालन हेतु स्थापित इलैक्ट्रिक लाईटें कार्यरत नहीं पायी गयी जिन्हें ठीक करवाये जाने की आवश्यकता है। | 2. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। | |
| | | | | | 3. ट्रान्सपोट नगर व मेहूवाला की ओर दोनों साइड पर रम्बल स्ट्रिप /कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। | 3. रम्बल स्ट्रिप एवं कैट आईज लगा दी गयी है। | |
| | | | | | 4. सम्बन्धित स्थान पर यातायात नियन्त्रण हेतु नियमित पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। | 4. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। | |
| | | | | | 5. मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है। | 5. थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग करा दी गयी है। | |
| 36 | देहरादून | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून | 36. अन्ना हजारे चौक | | 1. लेपित सतह का किनारा क्षतिग्रस्त है, जिसको पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। | 1. मरम्मत करा दी गयी है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0 /1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर के साथ कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। | 2. स्पीड ब्रेकर एवं कैट आईज लगा दी गयी है। | |
| | | | | | 3. मुख्य मार्ग पर दोनो ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | 3. सौर उर्जा से संचालित पीले ब्लिंकर लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 4. सडक से सटे बिजली के खम्भों को अन्यत्र शिप्ट किये जाने की आवश्यकता है। | 4. कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा की जानी है। | |
| | | | | | 5. अन्ना हजारे चौक से तेलपुर चौक तक मुख्य मार्ग के दानों ओर पटरियों पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे सडक की चौडाई कम हो गयी है अत स्थानीय प्रशासन के द्वारा सडक को अतिक्रमण मुक्त कराये जान की आवश्यकता है। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | देहरादून | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून | 37. तेलपुर चौक | | 1. सम्बन्धित स्थल पर दोनों और आवादी क्षेत्र है। अतः गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | 1. गतिसीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगा दिये गये है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131/02/रा0मा0–नि0–2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 397.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। |
| | | | | | 2. इनर कर्व पर राकेश ऑटो रिपेयर द्वारा सडक पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है। | | |
| | | | | | 3 मुख्य मार्ग पर दोनो ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | 3. बिलिंकर लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 4. सडक व रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से सडक मार्किंग की आवश्यकता है। | 4. रम्बल स्ट्रिप का निर्माण एवं रोड मार्किंग करा दी गयी है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | देहरादून | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून | 38. रतनपुर चौक | | 1. सम्बन्धित स्थल पर दोनों और आवादी क्षेत्र है। अतः निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | 1. बोर्ड लगा दिये गये है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131 / 02 / रा0मा0–नि0–2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 510.15 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। |
| | | | | | 2. लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर व मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप, कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। | 2. कार्यवाही कर दी गयी है। | |
| | | | | | 3. सडक पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट की मार्किंग दृष्टिगोचर नहीं है। पुनः सडक मार्किंग की आवश्यकता है। | 3. थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग कर दी गयी है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | देहरादून | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून | 39. चांदनी चौक | | 1. मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व दोनों ओर लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | 1. रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त। |
| | | | | | 2. मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | 2. बिलिंकर लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 3. दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के दोनों ओर चेतावनी बोर्ड से निर्धारित गति सीमा के साईन बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | 3. बोर्ड लगा दिये गये हैं। | |
| 40 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला | 40. बुड स्टॉक लण्डौर स्कूल के पास के पास | | 1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये है। | 1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगा दिये गये है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–770 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को प्रेषित।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–240 / 76 याता (क)–उ0 / 2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। |
| | | | | | 2. मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं कराया गया है। | 2. थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग करा दिया गया है। | |
| | | | | | 3. यह मार्ग काफी संकरा है। सडक का चौडीकरण कराया जाना आवश्यक है। | -- | |
| | | | | | 4 सडक के दोनो ओर रम्बल स्ट्रिप कैट आई के साथ स्थापित किये जाने की आवश्यकता है तथा स्कूली बच्चों के लिये जेब्रा कासिंग मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है। | 4. लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 5. कुछ स्थानों पर अतिक्रमण भी किया गया है। जिसको हटाये जाने की आवश्यकता है। | -- | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला | 41. किमोई/कफलानी के पास | | 1. किमोई के पास तीव्र मोड है। रम्बल स्ट्रिप के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है, तथा नीचे की तरफ मन्दिर तक दीवार लगाकर सडक का चौडीकरण किये जाने की आवश्यकता है। | 1. कार्य करा दिया गया है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–770/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–240/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। |
| | | | | | 2. निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये है। दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | 2. गतिसीमा व दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 3. कफलानी में दोनो ओर रम्बल स्ट्रिप कैट आई के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है। | 3. लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 4. आवादी क्षेत्र व दुर्घटना सम्भावित क्षत्र के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। सडको के किनारे कौस बैरियार लगे है, लेकिन जहां पर कोस बैरियर नहीं हैं उन स्थानों पर डेलीनेटर लगाये जाने की परम आवश्यकता है। | 4. लगा दिये गये है। | |
| 42 | देहरादून | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला | 42. मसराना (महारानी सुवाखोली से पहले) | | 1. कुछ स्थानों पर पेराफिट व कोस बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। निर्धारित गतिसीमा के बोर्ड व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | 1. लगा दिये गये है। | |
| | | | | | 2. सडक के पास मंगल सिह असवाल की दुकान है व जगत सिहं असवाल का मकान निर्माणाधीन है जो अतिक्रमण प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। | 2. कार्यवाही की जा रही है। | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 43. दूधाधारी चौक | | 1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया । | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305 / 76याता (क)–उ0 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉ वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित। |
| | | | | | 2. देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टॉप नहीं पाया गया। | | |
| | | | | | 3. निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के नीचे कम्पनी की अनावश्यक निर्माण सामाग्री पडी हुयी है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना है। अत: सामाग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है। | | |
| | | | | | 4. दूधाधारी चौक से बाजार की ओर पैदल पथ मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग अदृश्य है। | | |
| | | | | | 5. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 44 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad) | 44. चण्डी चौक | | 1. सडक पर चौडीकरण का कार्य गतिमान है। हरिद्वार में यात्रा के दौरान एवं कावड मेले में पूर्व चण्डी घाट चौक पर यातायात के दबाव को कम करने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलकनन्दा होटल के सामने से यू टर्न बनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। | | |
| | | | | | 2. निर्धारित गति सीमा का बोर्ड, रोड मार्किंग पेन्ट एवं चण्डी घाट चौक पर कसट्रक्शन साईट पर डेलीनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 45 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 45. शंकराचार्य चौक | | 1. लिंक रोड डाम कोठी एवं कनखल मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड, रम्बल स्ट्रिप लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 46 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 46. जान्हवी डेल | | 1. यातायात के दबाव को कम करने हेतु कनखल से आने व जाने वाले वाहनों के लिये यूटर्न बनाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| | | | | | 2. मार्ग पर कनखल की ओर ब्लिंकर व रम्बल स्ट्रिप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 47 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 47 सिहद्वार | | 1. प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फ्लाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निमाण किया गया है। कनखल की ओर से आने वाले मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व ब्लिकर लगाये जाने की आवश्यता है। | | |
| 48 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 48. गुरूकुल कांगडी | | 1. सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सडक के दोनों ओर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट मार्किंग से स्पीड ब्रेकर बनाये जाने की आवश्यता है। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 49. हरिलोक तिराहा | | 1. सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य गतिमान है। निर्धारित गतिसीमा के बोर्ड तथा हरिलोक की ओर से आने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एव रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉ वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित। |
| | | | | | 2. ज्वालापुर की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिये ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 50 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 50. रानीपुर झाल | | 1. सम्बन्धित स्थान पर पुल से आगे व पीछे कैश बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| | | | | | 2. बहादराबाद की ओर कर्व पर डेलीनेटर तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग की आवश्कता है। | | |
| | | | | | 3. निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| | | | | | 4. नहर की ओर से आने वाले लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 51 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 51. शनिदेव मन्दिर | | 1. सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मन्दिर के दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट, रोड मार्किंग व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| | | | | | 2. निर्धारित गतिसीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 52 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 52. शल्फर रोड | | 1. लिंक मार्ग को सर्विस लेन से जोडते हुये 200 मी0 आगे मुख्य मार्ग पर मिलाये जाने से यहां पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। | | |
| | | | | | 2. लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| 53 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 53. मलकपुर चुंगी | | 1. यह घनी आवादी वाला क्षेत्र है। सडक के दोनों आरे अतिक्रमण किया गया है। सम्बन्धित स्थल पर नगर निगम द्वारा प्रचार बोर्ड लगाये जाने से सडक और ज्यादा संकरी हो गयी है। अतः इस स्थान पर निरन्तर अतिक्रमण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। | | |
| | | | | | 2. अतिक्रमण मुक्त कर सडक की चौडाई दोनों ओर 2–2 मीटर बढाकर ब्लैक टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर जाने वाले यातायात को डिवाईडर बनाकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। | | |
| | | | | | 3. नगर निगम की ओर आने वाले यातायात के लिये ब्लिंकर एव स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 54. मिलिट्री चौक | | 1. मार्ग के दोनो ओर की पटरियों को चौडीकरण कर मार्ग की कैरिज–वे की चौडाई बढाते हुये मार्ग के बीच में डिवाईडर बनाकर यातायात को नियन्त्रित किया जाय। दोनों ओर मार्ग पर ब्लिंकर व रोड साईनेज लगाया जाय। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998/प्रवर्तन / स0सु0/1–8 (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉ वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित। |
| 55 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0 (उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन) | 55. संजय गुरंग पेट्रोल पम्प से करबा औरंगजेबपुर तक | | 1. मार्ग के दोनों आरे थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाय। दोनों ओर डेलीनेटर लगाये जांय तथा कॉसन बोर्ड व स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाय। | | |
| 56 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 56. मडावर (एन0एच0–73 किमी0–25.100) | | 1. फोरलेन कार्य प्रगति पर है। स्पीड लिमिट तथा कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड लगाया जाय। | | |
| 57 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 57. पुहाना (एन0एच0–73 किमी0–13) | | 1. दोनों लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय। ब्लिंकर व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। | | |
| 58 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 58. नारसन (एनएच–58) | | 1. तिराहे से पूर्व लिंक रोड पर 8–10 रॉ में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। ब्लिंकर बनाये जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय, व तिराहे के पास पैदल यात्रियों हेतु जेब्रा क्रोसिग बनाया जाय। | | |
| 59 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 59. शुगर मिल से छिब्बर हेडी | | 1. स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। पैरापेट पर पेन्ट किया जाय तथा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट मार्ग के दोनों ओर लगाये जांय। | | |
| 60 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, | 60. देवचन्द तिराहा | | 1. लिंक मार्ग पर बिटुमिनस 8–10 रो में स्पीड ब्रकर बनाया जाय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लिंकर्स बनाये जांय व स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाये जांय। | | |
| 61 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 61. देवचन्द तिराहा से कस्बा मार्केट | | 1. सम्बन्धित स्थान पर दांयी ओर नवनिर्मित पुल पर यातायात डायवर्ट करने हेतु रोड साइनेज लगाया जाय। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय। | | |
| | | | | | 2. मार्ग पर अवस्थित अतिक्रमण से दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत अतिक्रमण को हटाते हुये सर्विस लेन का कार्य पूर्ण किया जाय। | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 62. शिकारीवाला पीर से दीपशिखा | | 1. लण्डोर लिंक मार्ग पर 08 रो में बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर लगाये जांय। सर्विस लेन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। लिंक रोड पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय तथा थमोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट कराया जाय। | | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-998/प्रवर्तन / स0सु0/1-8 (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक-305/76याता (क)-उ0/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉं वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित। |
| 63 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun) | 63. डबल फाटक ओबर ब्रिज मोहनपुरा | | 1. दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त सडक की शीघ्र मरम्मत की जाए। रोड साईनेज व थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाय। | | |
| 64 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad) | 64. तिरछा पुल | | 1. सम्बन्धित मार्ग पर कॉशनबोर्ड /स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट तथा डेलीनेटर्स लगाये जाय। | | |
| 65 | हरिद्वार | एन0एच0 (रूडकी) | 65. बिरला फैक्ट्री से शनिदेव मन्दिर के मध्य | | 1. लिंक मार्ग पर स्पीड लिमिट व रोड साईनेज का बोर्ड लगाया जाय तथा स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग की जाय। | | |
| 66 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad) | 66. रसिया बड | | 1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को राकने हेतु सम्बन्धित मार्ग पर बिटुमिनस के 8-10 रो में स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साईनेज के बोर्ड लगाये जांय। | | |
| 67 | हरिद्वार | एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad) | 67. गैण्डी खाता | | 1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को राकने हेतु सम्बन्धित मार्ग के दोनो ओर सोल्डर्स को फिलिंग द्वारा लेबल करते हूये स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साईनेज के बोर्ड लगाये जांय। | | |
| | | | | | | | |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | | पौडी | 68. चमधार के पास फरासू | | 1- सम्बन्धित स्थल पर तीव्र ढलान व मोड होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः ढलान पर जाने वाले वाहनो हेतु सडक के आधे भाग पर ब्रेकर बनाये जाने की आवश्यता है।<br>2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र /तीव्र मोड है/निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।<br>3- मार्ग पर दोनो और सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।<br>4- कैट आई युक्त रम्बल स्ट्रिप लगाया जाना होगा। | चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर चौडीकरण का कार्य प्रगति में है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।<br>परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |
| 69 | टिहरी गढवाल | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड..... | 69. तोताघाटी | | 1- सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया ।<br>2- सडक के लेपित सतह के पहाड की और के किनारे टूटे है व कच्चा भाग सडक से नीचे है जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।<br>3- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट दर्शनीय नहीं पाया गया।<br>4- सम्बन्धित स्थल पर मार्ग की चौडाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी।<br>5- आगे तीव्र ढलान है का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है।<br>6- वाहनों के अधिक ओवरहेंग की स्थिति में पहाड पर टकराने की आशंका है। अत पहाडी का कटाव करावाया जाना आवश्यक है। ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोक जा सके।<br>7- दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सौरऊर्जा संचालित पीले रंग का बिलिंकर व कैटआई युक्त रम्बल स्ट्रीप लगाया जाना आवश्यक है।<br>8- निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर चौडीकरण का कार्य प्रगति में है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।<br>परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | | | 70. साकनीधार | | 1- सडक पर उबड-खाबड होने के कारण दुर्घटना की संभावना हो सकती है। अतः मार्ग पर ब्लैक टॉप कराया जाना आवश्यक है।<br>2- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं कराया गया है।<br>3- सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया है, जो लगाया जाना आवश्यक है।<br>4- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | कार्यवाही पूर्ण। ब्लैक स्पॉट का Long Term Measure भी पूर्ण। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।<br>परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा |
| 71 | | | 71. तीनधारा | | 1- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।<br>2- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं की गई है।<br>3- हैजर लाईन नहीं बनाई गयी है।<br>4- डेनिरेटर लगाये जाने की आवश्यकता है।<br>5- कर्ब से 100 मी0 आगे पीछे पानी की निकासी बन्द पडी पायी गयी, जिसे ठीक करवाया जाना आवश्यक होगा।<br>6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। | चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर चौडीकरण का कार्य प्रगति में है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।<br>परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। |
| 72 | | | 72. मूल्यागांव | | 1- सडक की चौडाई मानको के अनुरूप नहीं पायी गयी।<br>2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा पाया गया।<br>3- रम्बल स्ट्रिप नही बनाये गये हैं<br>4- मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर उर्जा के संचालित पीले रंग का बिलंकर लगाय जाने की आवश्यता है।<br>5- मार्ग पर कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।<br>6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा। | चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर चौडीकरण का कार्य प्रगति में है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।<br>परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1 सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |

| क्रम सं0 | जनपद का नाम | खण्ड का नाम | चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज | मार्ग का नाम व श्रेणी | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण | दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी ) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | | | 73. जुयालगढ पुलिया | | 1– सम्बन्धित सील पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया ।<br>2– पुलिया संकरी होने के कारण दुर्घटना की संभावना बन सकती है।<br>3– सम्बन्धित स्थल पर पेन्ट दृष्टिगोचर नहीं है, जो सम्भावित दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय।<br>4– डेनिरेटर/विलिंकर लगाये जाने की आवश्यता है।<br>5– सडक के लेपित सतह के किनारे दोनों और टूटे हैं, व कच्चा भाग सडक से काफी नीचे है, जो सडक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सडक की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनओं को रोका जा सके।<br>6– निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा। | चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड कटान कर चौडीकरण का कार्य प्रगति में है। | लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।<br>परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक–6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त।<br>प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–965/76 याता (क)–उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।<br>अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक–1242/ 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। |

मु०अभि० स्तर–II (मु०)